रा.आ.बैंक (नदि)/डीओएस/पर्य. परिपत्र सं. 07/2021-22

31 दिसम्बर, 2021

सभी पंजीकृत आवास वित्त कंपनियां,

महोदया/महोदय,

मास्टर परिपत्र - आवास वित्त कंपनियों (आ.वि.कं.) द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां

मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – आवास वित्त कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2021 दिनांकित 17 फरवरी, 2021 के अनुच्छेद 117 के प्रावधानों में पठित वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 (2019 का 23) जिसे बाद में रा.आ.बैंक अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है, के द्वारा यथा संशोधित राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 31, 32 व 33 के प्रावधानों एवं इस संबंध में इसे सक्षम करने वाले अन्य सभी प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रीय आवास बैंक (बाद में बैंक के रूप में संदर्भित) यह उचित समझता है कि आवास वित्त कंपनियों (आ.वि.कं.) का पर्यवेक्षण करने हेतु सक्षम बनाने के उद्देश्य से यह आवश्यक एवं समीचीन है तथा मास्टर परिपत्र No. NHB(ND)/DOS/Sup. Circular No.5/2020-21, dated April 13, 2021 के प्रतिस्थापन में, एतदद्वारा यह मास्टर परिपत्र जारी करता है।

2. इस परिपत्र के प्रावधान 31 दिसंबर, 2021 से प्रभावी होंगे।

3. यह परिपत्र रा.आ.बैंक की वेबसाइट (https://nhb.org.in/en/regulation_post/supervisory-circular/ पर भी उपलब्ध है।

भवदीय,

(विनीत सिंघल)
महाप्रबंधक